

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थना में मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रमाण अभिलेख सुरक्षी हेतु निवेदन किया है एवं इस सुरक्षी को करने हेतु सहमति लिखित में की गयी है। उन सहमतियों को भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त सुरक्षी वस्तुओं अभिलेख सुरक्षी प्रमाण की प्रकृति में नहीं है। उचित इन्चाज प्रमाण प्रत्येक सहमति से किमे जाने हेतु प्रार्थना में प्रस्तुत की है तथा अभिलेख के आधार पर ही उक्त इन्चाज सुरक्षी प्रमाण अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्चाज प्रमाणों के आदेश विवेक जाते हैं -

पूर्व इन्चाज							
1	2	3	4	5	संशुद्ध किया गया इन्चाज		
प्रार्थना का नाम	खाता संख्या	खातदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (है.कै.)	खातदार का नाम	7	8
श्री/बनारसपुरा	181	गोकुलदास पुत्र श्यामसुन्दर नाथ गाँव काँडा खामेरा	532 242	8.84	अनंदास नाथ निशान गाँव काँडा खामेरा	532 242	8.84
"	189	गोकुलदास पुत्र श्यामसुन्दर नाथ गाँव काँडा खामेरा	532	1.71	— do —	532	1.71

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :- 907/21

प्रतिलिपि प्रालम्बार्थ :-

- उप जिलाधिकारी, मौलापुर

[Signature]
शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि प्रालम्बार्थ :-

- पटवार वस्तु दीन 412371 को भेजकर लख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं हो तो निर्णयानुसार मौलापुर मुहुरित करे

[Signature]
उप जिलाधिकारी, मौलापुर